उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरमाष/फैक्स : 0135–2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः– 307 /3-2 बजट (CAT Plan)/25-26 दिनांक 24 जुलाई, 2025

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक/उपनिदेशक तथा
क्रियान्वयन अभिकरण, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–02 जल ग्रहण शोध योजना कैम्पा कैट प्लान" मद में आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0–55/3–5 दिनांक 22 जुलाई, 2025

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदंर्भित पत्र से वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2406–04–103–03–02 जल ग्रहण शोध योजना कैट प्लान मद के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रू 17.50 करोड़ की धनराशि पत्र में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड* www.ukcampa.org.in *पर fund released section में भी अपलोड है।*

अतः प्रश्नगत योजना में उक्त आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु संबंधित प्रभागों में संचालित विभिन्न कैट प्लानों के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यो हेतु भौतिक लक्ष्य अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी, देहरादून के पत्रांक–414/3–19 दिनांक 13.12.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** व पत्रांक सख्या–819/3–19 दिनांक 23.06.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** के अनुसार आवंटित किये गये है। इन आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक–NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2025, ***(कैम्पा वेबसाईड में अपलोड)*** व शासकीय पत्रांक–2048/X-2-2025-12(31) 2025 (E-74356) दिनांक 30.06.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
2. उक्त धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व राज्य में हो रहें त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2025 हेतु वर्तमान में प्रभावी आदर्श आचार सहिता हेतु जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाए।
3. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा–निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यो हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
4. कैम्पा के कार्यो में किसी भी प्रकार की Dovetailing स्वीकार्य नहीं होगी।
5. कार्यों के संपादन हेतु समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रॉक्योरमेंट नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर गतिविधि का पूर्ण उल्लेख करते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
7. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसगत विवरण अंकित हो।
8. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।
9. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम,1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
10. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio- Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।
11. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
12. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।
13. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।
14. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाते हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे; और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

15. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यो के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।
16. कार्य को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो। स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
17. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
18. उक्तानुसार धनराशि का आवंटन आपके प्रभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में MIS के माध्यम से की गई मांग के अनुसार किया जा रहा है। आवंटित धनराशि के सापेक्ष यदि कोई धनराशि आपके प्रभाग द्वारा समर्पित की जाती हे तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रभाग का होगा।
19. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीरकण, IWLMP एवं मृदा जल सरंक्षण आदि कार्य न किया जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)/
for मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 307 (1) /3-2 बजट (CAT Plan)/ 25-26 दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. मुख्य वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक–414/3–19 दिनांक 13.12.2024, पत्रांक सख्या–819/3–19 दिनांक 23.06.2025, पत्रांक 29/3–19 दिनांक 09–07–2025 व पत्रांक 36/3–19 दिनांक 15.07.2025 के क्रम में।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)/
for मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 307 (2) /3-2 बजट (CAT Plan)/ 25-26 दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)/
for मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

संलग्नक–1

वित्त नियंत्रक के पत्रांक संख्या 55/3–5 दिनांक 22 जुलाई, 2025 से लेखाशीर्षक 2406–04–103–03–02 जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना (CAT Plan) अंतर्गत आंवटित रू 17.50 करोड़ के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	कैट प्लान का नाम	क्रियान्वयन अभिकरण का नाम	आवंटित धनराशि	भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान (CAT Plan)	CAT Lakhwar H.EP	DFO UPPER YAMUNA BARKOT	35.00	अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी के पत्रांक–414/3–19 दिनांक 13–12–2024 व पत्रांक संख्या 819/3–19 दिनांक 23–06–2025 के अनुसार सम्बन्धित प्रभागों द्वारा क्रियान्वित किये जाने हैं।
2			DFO CHAKRATA	474.44	
3			DFO MUSSOORIE	500.00	
4		CAT Vyasi H.EP	DFO SC KALSI	253.19	
5		CAT MORI NAITWAR HEP	DFO TONS	35.16	
6			GOWIND WILDLIFE	2.51	
7		CAT JAAMRANI HEP	DFO NAINITAL	310.00	
8			DFO SC NAINITAL	95.00	
9		CAT KHUTANI HEP	DFO PITHORAGRAH	3.00	
10			DFO BAGESHWAR	5.70	
16		CAT PMU	CCF GARHWAL	4.00	
17			CF YAMUNA CIRCLE	13.00	
18			PCCF PROJECTS	19.00	
		All total		**1750.00**	

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड, कैम्पा,
देहरादून।

संख्याः 55/3–5 (कैम्पा–जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान)

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक 22 जुलाई, 2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन विभाग की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा परियोजना के अन्तर्गत अनुदान सं0–27 के लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–02–जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान" हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– शासनादेश संख्या–**2048/X-2-2025-12(31)2025(E-74356)** दिनांक 30 जून, 2025 अलॉटमैन्ट आई.डी.–S25060270012 दिनांक 30.06.2025 – आवंटित बजट ₹17,50,00,000 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–02–जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान" योजनान्तर्गत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹ 17,50,00,000/–(₹ सत्रह करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में अवमुक्त/जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹ 17,50,00,000/–(₹ सत्रह करोड़ पचास लाख मात्र) को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता है:–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेश दिनांक 30 जून, 2025 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या–**NA-15/4/2020-NA** दिनांक 14.05.2025 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जाए।
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाए।
5. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713/9(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

–2/–

7. मासिक व्यय विवरण/बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 एवं मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

Digitally signed by
HEMENDERA PRAKASH GANGWAR
Date: 22-07-2025 22:51:24

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्याः 55/3–5 (कैम्पा–जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान) तद्दिनांकित।

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड,कैम्पा, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमाऊँ तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षकों/निदेशकों को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना/नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
8. **समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को IFMS पोर्टल से ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त बजट को कोषागार डाटाबेस/मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।**
9. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

Print Date:-22/Jul/2025 10:33 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Hr [illegible] Prakash Gangwar
Date: 22-Jul-2025 22:[illegible]:52
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest [illegible]
Treasury-Dehradun(0100)
DDO-P C C F Project(4259)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-55/3-5
अनुदान संख्या - 027
लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H25070270222
आवंटन पत्र दिनांक - 22-JUL-2025

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	1900000	0	1900000
	योग	0	1900000	0	1900000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 19,00,000 (Rupees Nineteen Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2507:0222

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

Print Date:-22/Jul/2025 10:38 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr Hemendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jul-2025 22:11:59
Reason: HOD e Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Garhwal(4200)
DDO-CCFGarhwal RegionPauri (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-55/3-5
अनुदान संख्या - 027
लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H25070270223
आवंटन पत्र दिनांक - 22-JUL-2025

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	400000	0	400000
	योग	0	400000	0	400000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 4,00,000 (Rupees Four Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2507:0223
Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

Print Date:-22/Jul/2025 10:38 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr Hemendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jul-2025 22:41:55
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (HOFF)
Treasury-Dehradun(0100)
DDO-Conservator of Forest Yamuna CircleDehradun(4258)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-55/3-5

आवंटन आई डी - H25070270224

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 22-JUL-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	1300000	0	1300000
	योग	0	1300000	0	1300000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 13,00,000 (Rupees Thirteen Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2507:0224

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr Pramod Kumar Prakash Gangwar
Date: 22-Jul-2025 22:44:08
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (HoFF)
Treasury-Barkot(4103)

DDO-DFO Apar Yamuna Forest DivisionBadkot(4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-55/3-5

आवंटन आई डी - H25070270225

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 22-JUL-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	3500000	0	3500000
	योग	0	3500000	0	3500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 35,00,000 (Rupees Thirty Five Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2507:0225

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

Print Date:-22/Jul/2025 10:42 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr Hemendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jul-2025 22:44:08
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (HOFF)
Treasury-Chakarata(0101)
DDO-DFO Chakarata Forest DivisionChakarata(4258)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-55/3-5

आवंटन आई डी - H25070270226

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 22-JUL-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	47444000	0	47444000
	योग	0	47444000	0	47444000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 4,74,44,000 (Rupees Four Crores Seventy Four Lacs Forty Four Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2507:0226

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jul/2025 10:48 PM

IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr [illegible] Prakash Gangwar
Date: 22-Jul-2025 22:[illegible]:39
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest [illegible]
Treasury-Mussoorie(0102)
DDO-DFO Musoori Forest Division Musoori(4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-55/3-5

आवंटन आई डी - H25070270227

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 22-JUL-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	50000000	0	50000000
	योग	0	50000000	0	50000000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 5,00,00,000 (Rupees Five Crores Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2507:0227

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

Print Date:-22/Jul/2025 10:47 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr Rajendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jul-2025 22:43:39
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Vikasnagar(0105)
DDO-DFO Soil Conservation Division KalsiKalsi(4258)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-55/3-5

आवंटन आई डी - H25070270228

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 22-JUL-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	25319000	0	25319000
	योग	0	25319000	0	25319000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 2,53,19,000 (Rupees Two Crores Fifty Three Lacs Nineteen Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2507:0228

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jul/2025 10:50 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr Hem [illegible] Prakash Gangwar
Date: 22-Jul-2025 22:[illegible]:55
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Purola(4101)
DDO-DFO Tons Forest DivisionPurola(4256)

आंवटन पत्र संख्या - Ni-55/3-5
अनुदान संख्या - 027
लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H25070270229
आवंटन पत्र दिनांक - 22-JUL-2025

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	3516000	0	3516000
	योग	0	3516000	0	3516000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 35,16,000 (Rupees Thirty Five Lacs Sixteen Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2507:0229
Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jul/2025 10:50 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Date: 22-JUL-2025
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest

Treasury-Purola(4101)

DDO-Dy Director Govind Wild Life SancturyPurola(4257)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-55/3-5

आवंटन आई डी - H25070270230

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 22-JUL-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	251000	0	251000
	योग	0	251000	0	251000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 2,51,000 (Rupees Two Lacs Fifty One Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2507:0230

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jul/2025 10:52 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr Hemendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jul-2025 22:05:50
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Nainital(3600)

DDO-DFO Nainital Forest DivisionNainital(4255)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-55/3-5

अनुदान संख्या - 027

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H25070270231

आवंटन पत्र दिनांक - 22-JUL-2025

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	31000000	0	31000000
	योग	0	31000000	0	31000000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 3,10,00,000 (Rupees Three Crores Ten Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2507:0231

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jul/2025 10:52 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr Narendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jul-2025 22:46:50
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Nainital(3600)

DDO-DFO Soil Conservation Division NanitalNainital(4323)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-55/3-5
आवंटन आई डी - H25070270232
अनुदान संख्या - 027
आवंटन पत्र दिनांक - 22-JUL-2025
लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	9500000	0	9500000
	योग	0	9500000	0	9500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 95,00,000 (Rupees Ninety Five Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2507:0232

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

Print Date:-22/Jul/2025 10:58 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr [illegible] Prakash Gangwar
Date: 22-Jul-2025 22:[illegible]:32
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest [illegible]
Treasury-Pithoragarh(3800)
DDO-DFO Pithoragarh Forest DivisionPithoragarh(4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-55/3-5

आवंटन आई डी - H25070270233

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 22-JUL-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	300000	0	300000
	योग	0	300000	0	300000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 3,00,000 (Rupees Three Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2507:0233

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

Print Date:-22/Jul/2025 10:58 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr Hemant [illegible] Prakash Gangwar
Date: 22-JUL-2025 22:55:32
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Bageshwar(8900)

DDO-DFO Bageshwar Forest DivisionBageswar(4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-55/3-5

आवंटन आई डी - H25070270234

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 22-JUL-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
02	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	2

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	570000	0	570000
	योग	0	570000	0	570000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 5,70,000 (Rupees Five Lacs Seventy Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2507:0234

Approval Status : e-Sign letter

संख्या–2049/X–2–2025–12(31)2025 (E-74356)

प्रेषक,

सत्यप्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 जून, 2025

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन विभाग की अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत ए0पी0ओ0 के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नि0 176165/3–5 (कैम्पा) दिनांक 23.05.2025 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्र संख्या–NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2024 के द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत स्वीकृत आय–व्ययक/ए0पी0ओ0 के सापेक्ष धनराशि रू0 **13165.00 लाख (रू0 एक अरब इक्कतीस करोड़ पैंसठ लाख मात्र)** निम्नलिखित विवरणानुसार अवमुक्त कर व्यय हेतु निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक/मानक मद	राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा स्वीकृत ए0पी0ओ0	वर्तमान अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	4
अनुदान संख्या–27		
2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी 04–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103–राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा		
03–01– क्षतिपूरक वनीकरण योजना **42–अन्य विभागीय व्यय**	7200.00	6000.00
03–02– जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान **42–अन्य विभागीय व्यय**	5500.00	1750.00
03–03– समेकित वन्यजीव प्रबन्धन योजना **42–अन्य विभागीय व्यय**	1000.00	500.00
03–04– वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य **42–अन्य विभागीय व्यय**	7380.00	3690.00
03–05– कैम्पा से अर्जित ब्याज 05–वेतन भत्ते	450.00	225.00

File No. बज-303-5C/19/2025-APCCF PFM-FOREST DEPT (Computer No. 141666)
Generated from eOffice by Neeraj Singh Samant, NSS_AO_PFM, ASSISTANT ACCOUNTANT, FOREST DEPT on 23/07/2025 10:47 am

आदि के लिए सहायक अनुदान		
03–06– अन्य कार्य 42–अन्य विभागीय व्यय	2000.00	1000.00
योग.–	23530.00	13165.00

(रू0 एक अरब इक्कतीस करोड़ पैंसठ लाख मात्र)

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि संबंधित डिवीजन को 02 सप्ताह के अन्दर आवंटित कर दी जाय। 02 सप्ताह के अन्दर धनराशि आवंटन न करने पर संबंधित के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

2. धनराशि के व्यय हेतु The Compensatory Afforestation Fund Rule's 2018 कैम्पा के नियमों/अधिनियम तथा भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 14.05.2025 में दिये गये प्रतिबन्धों/दिशा–निदेशों का अनुपालन अवश्यमेव सुनिश्चित किया जायेगा।

3. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–245 / XXVII(7)/2 012 दिनांक 22.11.2012 के माध्यम से, कार्य के प्रकार के अनुसार, कार्यवार वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है। अतः उक्त शासनादेश में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह उक्त शासनादेश के अनुसार ही प्रतिनिहित की गयी शक्तियों का समुचित उपयोग करें।

4. वित्तीय नियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। बिना प्रशासनिक/वित्तीय/ तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5. कार्य को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

6. धनराशि नियमानुसार आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित की जाय।

7. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा–निर्देशों/शर्तो के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आंगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रकिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

8. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (यथा संशोधित), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शासनादेशों एवं अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।

File No. बज-303-5C/19/2025-APCCF PFM-FOREST DEPT (Computer No. 141666)
Generated from eOffice by Neeraj Singh Samant, NSS_AO_PFM, ASSISTANT ACCOUNTANT, FOREST DEPT on 23/07/2025 10:47 am

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, महालेखाकार एवं शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

12. कार्य कराये जाने से पूर्व एवं कार्य कराये जाने के बाद कार्य की फोटोग्राफी आवश्यक रूप से करायी जाय।

13. प्रश्नगत प्रस्ताव के सम्बन्ध में यदि वन संरक्षण अधिनियम 1980 ,Wiild life Protection Act 1972,भारतीय वन अधिनियम 1927 या अन्य किसी अधिनियम के तहत Clearance लिया जाना हो तो तद्नुसार सभी आवश्यक Clearanceलेकर ही धनराशि का व्यय किया जाये।

14. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित मूल वाद सं0 202/1995 में दाखिल आई0ए0 न0 181182 एवं 181186/2023 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 एवं दिनांक 28.11.2023 का उल्लंघन न हो। यदि प्रश्नगत कार्य के कियान्वयन से मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त पारित आदेशों का उल्लंघन हो रहा हो तो संबंधित कार्य कदापि न किये जायं।

2— उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025—26 में स्वीकृत आय—व्यय के सापेक्ष अनुदान संख्या—27 के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा। कम्प्यूटर जनरेट अलॉटमेन्ट आई0डी0संलग्न है।

3 — यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

Digitally signed by
SATYA PRAKASH SINGH
Date: 30-06-2025
17:04:57

भवदीय,

(सत्यप्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या—2048/X—2—2025—12(31)20251 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़ देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
9. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

(सत्यप्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव।

Email id:-pccfproject-forest-uk@nic.in

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 819 /3–19 देहरादून, दिनांक 23 जून, 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।

विषयः– कैट प्लान की वर्ष 2025–26 हेतु नैटवाड़–मोरी जल विद्युत परियोजना की संशोधित कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल का पत्रांक– 2504/3–19 दिनांक 10.06.2025।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल के स्तर से नैटवाड़–मोरी जल विद्युत परियोजना के सापेक्ष वर्ष 2025–26 की संशोधित कार्ययोजना कुल लागत धनराशि ₹ 37.67 लाख (टौंस वन प्रभाग हेतु ₹ 35.16 लाख एवं गोविन्द वन्यजीव विहार हेतु ₹ 2.51 लाख) इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

विदित है कि इस कार्यालय के पत्रांक– 414/3–19 दिनांक 13.12.2024 द्वारा सम्बन्धितों के स्तर से प्राप्त कैट प्लान की वर्ष 2025–26 की कुल लागत धनराशि ₹ 53.828 करोड़, वार्षिक कार्ययोजना आपको उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त कार्ययोजना में नैटवाड़–मोरी कैट प्लान अंतर्गत टौंस वन प्रभाग एवं गोविन्द वन्यजीव विहार द्वारा तदसमय अवशेष कुल लागत धनराशि ₹ 77.20 लाख प्रस्तावित किये गये थे। कतिथ कैट प्लान अंतर्गत वर्ष 2023–24 में सम्बन्धित वन प्रभागों द्वारा समर्पित धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2024–25 में प्रस्तावित अतिरिक्त कार्ययोजना की धनराशि ₹ 49.81 लाख माह मार्च 2025 में सम्बन्धित प्रभागों को अवमुक्त की गयी थी। वर्ष 2024–25 में समस्त कार्यों में व्यय के पश्चात सम्बन्धित वन प्रभागों द्वारा प्रस्तुत प्रगति के अनुसार अवशेष धनराशि ₹ 42.55 लाख है। उक्त अवशेष धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2025–26 हेतु कुल लागत धनराशि ₹ 37.67 लाख की संशोधित कार्ययोजना सम्बन्धितों के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है तथा ₹ 4.66 लाख की धनराशि पी0एम0यू0 मद में इस कार्यालय द्वारा उक्त कैट प्लान के सापेक्ष पूर्व में प्रस्तावित की गयी है। नैटवाड़–मोरी कैट प्लान का वर्ष 2025–26 में समापन होने के दृष्टिगत कैट प्लान अंतर्गत अवशेष धनराशि का ही व्यय किया जाना है। कैट प्लानों अंतर्गत अवशेष धनराशि का कैट प्लानवार विवरण आपको इस कार्यालय के पत्रांक– I/183897/2025 दिनांक 18.06.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अतः कृपया उक्त तथ्यों के दृष्टिगत अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल के द्वारा प्रेषित नैटवाड़–मोरी जल विद्युत परियोजना की अवशेष धनराशि ₹ 37.67 लाख की संशोधित कार्ययोजना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलनग्क–यथोपरि।

भवदीय,

(सुशांत कुमार पटनायक)
मुख्य वन संरक्षक,
परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 819 /13-19 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, राजाजी टाइगर रिर्जव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला।
5. उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

(सुशांत कुमार पटनायक)
मुख्य वन संरक्षक,
परियोजनायें एंव सामुदायिक वानिकी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id:-pccfproject-forest-uk@nic.in

पत्रांक– 414 / 3-19 देहरादून, दिनांक 13 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषय :– कैट–प्लान के अंतर्गत वर्ष 2025–26 की वार्षिक कार्ययोजना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ का पत्रांक–1424/ 7-1 दिनांक 12.12.2024 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल का पत्रांक–1133/ 3-19 दिनांक 13.12.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल एवं मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ के स्तर से वित्तीय वर्ष 2025–26 में कैट प्लान योजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2025–26 उपलब्ध करायी गयी है।

सम्बन्धितों से प्राप्त कैट प्लान की कार्ययोजना वर्ष 2025–26 संकलित कर निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है, कृपया इसे अन्तिम समझने तथा वर्ष 2025–26 की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करने का कष्ट करें । उक्त कार्ययोजना का कैट–प्लानवार तथा प्रभागवार विवरण निम्नवत है :–

क्र0सं0	कैट प्लान का नाम	प्रभाग का नाम	धनराशि (रू0 लाख में)
1	लखवाड़	चकराता वन प्रभाग, कालसी	595.96
		मसूरी वन प्रभाग,मसूरी	635.71
		अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट	48.60
		योग	**1280.27**
2	व्यासी	कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी	253.19
		योग	**253.19**
3	नैटवाड़–मोरी	टोंस वन प्रभाग, पुरोला	59.14
		गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला	18.06
		योग	**77.20**
4	सौंग	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती	1498.54
		मसूरी वन प्रभाग,मसूरी	709.16
		देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	181.49
		योग	**2389.19**
5	लोहारी नागपाला	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	635.20
		भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी	195.10
		योग	**830.30**
		योग (गढ़वाल)	**4830.15**
6	जमरानी	नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल	384.60
		नैनीताल भू0सं0 वन प्रभाग, नैनीताल	114.06
		योग	**498.66**
7	खुटानी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	3.71
		बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर	7.08
		योग	**10.79**
		योग (कुमाऊँ)	**509.45**
		पी0एम0यू0	
	अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सा0 वा0		22.25
	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल		5.00
	वन संरक्षक, यमुना वृत्त		16.00
		पी0एम0यू0 योग	**43.25**
		कुल योग	**5382.85**

160.40

उत्तराखण्ड कैम्पा,
प्रविष्टि संख्या 2357
दिनांक 16/12/2024
पत्रावली सं0
शाखा 80/m-NPM

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड कैम्पा

सम्बन्धितों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि कार्ययोजना के उक्त विवरण को कैम्पा एम0आई0एस0 पर भी अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक :— यथोपरि।

भवदीय,

13/12/2024
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— / तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ।
3. निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड।
5. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
6. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड।
7. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड।
8. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।
10. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
11. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी।
12. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
13. प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला।
14. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
15. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
16. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
17. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
18. उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।
19. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
20. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
21. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
22. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

13/12/2024
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।